मत्स्यपालन विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएँ

1) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

- मंत्रिमंडल ने 20 मई, 2020 को कुल 20,050 करोड़ रुपए के निवेश से प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) को अनुमोदन प्रदान किया ।
- पीएमएमएसवाई को मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट हारवेस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर और मेनेजमेंट, वेल्यू चेन के आधुनिकीकरण और सुद्दढ़ीकरण, ट्रेसेबिलिटी, एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचे की स्थापना और मछुआरों के कल्याण में ध्यान दी जाने वाली कमियों (क्रिटिकल गैप्स) को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- पीएमएमएसवाई को दो अलग-अलग घटकों के साथ कार्यान्वित किया जाता है, अर्थात् (i) केंद्रीय क्षेत्र योजना / [सेंट्रल सैक्टर स्कीम (CS)] घटक जिसे केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ कार्यान्वित किया जाता है, (ii) केंद्र प्रायोजित योजना / [सेन्ट्रेल्ली स्पोन्सर्ड स्कीम (CSS)] घटक जिसे केंद्र, राज्यों और लाभार्थियों के बीच निधि साझाकरण (फ़ंड शेयरिंग) के साथ कार्यान्वित किया जाता है।

उद्देश्य:

- मात्स्यिकी क्षमता का स्थायी रूप से (सस्टेनेबल), जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से दोहन (हारनेसिंग) करना
- भूमि और जल के विस्तार (एक्सपेनशन), गहनता (इंटेनसिफिकेशन), विविधीकरण (डाईवरसिफिकेशन) और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना
- वैल्यू चेन का आधुनिकीकरण और सुद्दढ़ीकरण – पोस्ट हारवेस्ट मेनेजमेंट और गुणवत्ता में सुधार
- मछुआरों और मत्स्य पालकों की आय दोगुनी करना तथा रोजगार सृजन करना
- कृषि सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में योगदान बढ़ाना
- मछुआरों और मत्स्य पालकों के लिए सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा
- सुद्दढ़ मत्स्य प्रबंधन एवं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ।

गतिविधियों की सूची

- पीएमएमएसवाई एक व्यापक योजना है जिसके दो अलग-अलग घटक हैं: (क) केंद्रीय क्षेत्र योजना / [सेंट्रल सैक्टर स्कीम (CS)] और (ख) केंद्र प्रायोजित योजना / [सेन्ट्रेल्ली स्पोन्सर्ड स्कीम (CSS)] । केंद्र प्रायोजित योजना / सेन्ट्रेल्ली स्पोन्सर्ड स्कीम (CSS)] घटक को आगे तीन व्यापक शीर्षकों के तहत गैर-लाभार्थी उन्मुख और लाभार्थी उन्मुख उप-घटकों/गतिविधियों में विभाजित किया गया है:

(i) उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
(ii) इनफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट हारवेस्ट मेनेजमेंट
(iii) मत्स्य प्रबंधन और रेगुलेट्री फ्रेमवर्क

- लाभार्थी उन्मुख अर्थात व्यक्तिगत/समूह गतिविधियों के उप-घटकों/गतिविधियों के लिए, सरकारी वित्तीय सहायता सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना/इकाई लागत का 40% तक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं के लिए परियोजना/इकाई लागत का 60% तक होगी।

2) मात्स्यिकी एवं जलकृषि अवसंरचना विकास निधि / फिशरीस एंड एक्वाकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फ़ंड (FIDF)

- मात्स्यिकी क्षेत्र में इनफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 2018-19 के दौरान फिशरीस एंड एक्वाकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फ़ंड (FIDF) नामक समर्पित फ़ंड बनाया है जिसका कुल फ़ंड साईज़ 7522.48 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिशरीस एंड एक्वाकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फ़ंड (FIDF) को 2025-26 तक 3 साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है ।
- भारत सरकार द्वारा लिए गए उस ऋण पर जिसकी ब्याज दर 5% प्रति वर्ष से कम नहीं होती और पुनर्भुगतान अवधि 2 वर्ष के मोरटोरियम सहित 12 वर्ष है, के लिए नोडल लोनिंग एंटीटीस (NLE) के माध्यम से रियायती वित्त प्रदान करने के लिए 3% प्रति वर्ष तक ब्याज अनुदान (इंटरेस्ट सबवेनशन) प्रदान करती है ।

उद्देश्य:

- कैप्चर एवं कल्चर फिशरीस इनफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और आधुनिकीकरण
- समुद्री जल कृषि (मरीन एक्वाकल्चर) का निर्माण
- अंतर्देशीय मत्स्यपालन अवसंरचना (इनलैंड फिशरीस इनफ्रास्ट्रक्चर) का निर्माण और आधुनिकीकरण
- पोस्ट हारवेस्ट नुकसान को कम करना तथा इनफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के माध्यम से घरेलू विपणन सुविधाओं में सुधार करना।
- संसाधन अंतर (रीसोर्स गैप) को पाटना तथा वर्तमान में चल रही इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में सुविधा प्रदान करना।

पात्र गतिविधियाँ:

- फिशिंग हारबर्स की स्थापना,
- फिश लैंडिंग सेंटर्स की स्थापना,
- आइस प्लांट्स का निर्माण (समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी दोनों क्षेत्रों में),
- कोल्ड स्टोरेज का निर्माण (समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी दोनों क्षेत्रों में),
- फिश ट्रांसपोर्ट सुविधाएं (समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी क्षेत्र),
- एकीकृत (इंटीग्रेटेड) कोल्ड चेन (समुद्री और अंतर्देशीय क्षेत्र),
- मॉडर्न फिश मार्केट्स का विकास,
- ब्रूड बैंकों की स्थापना,
- हैचरी का विकास,
- जलकृषि का विकास,
- स्टेट फिश सीड फार्मों का आधुनिकीकरण,
- अत्याधुनिक मात्स्यिकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना,
- फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स,
- फिश फ़ीड मिल्स/प्लांट्स,
- जलाशय में केज कल्चर की स्थापना,
- डीप सी फिशिंग वेसेल्स का आरंभ,
- रोग निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना,
- समुद्री कृषि का विकास,
- जलीय संगरोध सुविधाओं की स्थापना,
- मत्स्य उत्पादन/उत्पादकता/मूल्य बढ़ाने के लिए बनाई गई कोई अन्य नवीन परियोजनाएं/गतिविधियां।

3) प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY)

- “प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (PM-MKSSY)”, मात्स्यिकी क्षेत्र को व्यवस्थित करने (फोरमेलाईज़ेशन) और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक 4 वर्षों की अवधि में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ मात्स्यिकी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना है ।

उद्देश्य:

- नेशनल फिशरीज़ सेक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मछुआरों, मत्स्य किसानों और सहायक श्रमिकों के स्व-पंजीकरण के माध्यम से असंगठित मात्स्यिकी क्षेत्र को क्रमिक रूप से व्यवस्थित करना (फोरमेलाईज़ेशन), जिसमें बेहतर सेवा वितरण के लिए मछुआरों, मत्स्य किसानों, मत्स्य विक्रेताओं और अन्य हितधारकों की कार्य आधारित डिजिटल पहचान का निर्माण शामिल है।
- मात्स्यिकी क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संस्थागत वित्तपोषण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना।
- जलकृषि बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को एकमुश्त (वन टाईम) प्रोत्साहन प्रदान करना।
- नौकरियों के सृजन और रखरखाव सहित मात्स्यिकी क्षेत्र की वैल्यू-चैन एफिशिएंसी में सुधार के लिए निष्पादन अनुदान (पेरफ़ोरमेन्स ग्रांट) के माध्यम से मात्स्यिकी और जलकृषि सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करना ।
- नौकरियों के सृजन और रखरखाव सहित मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाने और विस्तार के लिए पेरफ़ोरमेन्स ग्रांट के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करना।

लक्षित लाभार्थी:

- मछुआरे, मत्स्य (जल कृषि) किसान, मत्स्य श्रमिक, मत्स्य विक्रेता या ऐसे अन्य व्यक्ति जो सीधे फिशरिज वैल्यू चैन में कार्य कर रहे हैं।
- भारत में प्रोपराईटरी फर्मों, पर्टनरशिप फर्मों के तौर पर पंजीकृत सूक्ष्म और और लघु उद्यम और पंजीकृत कंपनियां, समितियां, सीमित देयता भागीदारी / लिमिटेड लायाबिलिटी पार्टनरशिप्स (LLPs), सहकारी समितियां, महासंघ, ग्राम स्तरीय संगठन जैसे स्व सहायता समूहों (SHGs), मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (FFPO) और मात्स्यिकी और जल कृषि से जुड़े वैल्यू चैन के स्टार्टअप ।
- एफएफपीओ में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) भी शामिल हैं।

घटक:

- उप-योजना के निम्नलिखित चार घटक हैं :
- घटक 1-क: मात्स्यिकी क्षेत्र को व्यवस्थित रूप देना (फोरमेलाईज़ेशन) और कार्यशील पूंजी वित्तपोषण के लिए भारत सरकार के कार्यक्रमों तक मात्स्यिकी सूक्ष्म उद्यमों की पहुंच को सुविधाजनक बनाना,
- घटक 1-ख: जलकृषि बीमा को अपनाने में सुविधा प्रदान करना,
- घटक 2: मात्स्यिकी क्षेत्र की वैल्यू चैन एफिशिएंसी में सुधार के लिए सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करना,
- घटक 3: मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाना और विस्तारित करना ।